प्रेस नोट दिनांक 29.01.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त को जनपद प्रयागराज थाना सोरांव क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तवकलपुर से गिरफ्तार किया गया-

दि0-21.07.2025 की रात्रि थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत सिपाह महेरी में बकरी चोरी के मामले में उपरोक्त अभियुक्त सम्मिलित था।

प्रतापगढ़

दिनांक 21.07.2025 की रात्रि में थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत सिपाह महेरी में बकरी चोरी की घटना के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 177/2025 धारा 305, 331(4) बीएनएस बनाम सफेद क्रेटा सवार अज्ञात अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

उक्त क्रम में दिनांक 21.07.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान 02 अन्तर्जनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 178/2025 धारा 109(1), 3(5) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें अभियुक्त फरार चल रहा था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं सहायक पुलिस अधीक्षक नगर/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 अजीत सिंह मय हमराह का0 चंद्रकेश,का0 प्रमोद कुमार, का0 रवि प्रकाश, का0 विकास जायसवाल द्वारा मुखबिर की सूचना पर दबिश के दौरान थाना कोतवाली देहात में पंजीकृत मु0अ0स0 177/2025 धारा 305, 331(4), 317(2), 317(4), 3(5) बीएनएस व मु0अ0सं0 178/2025 धारा 109(1), 3(5) बीएनएस में वांछित अभियुक्त सलमान पुत्र पप्पू उर्फ हामिद अली निवासी ग्राम हरिहरपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ को जनपद प्रयागराज थाना सोरांव क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तवकलपुर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सलमान पुत्र पप्पू उर्फ हामिद अली निवासी ग्राम हरिहरपुर थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0 177/2025 धारा 305, 331(4), 317(2), 317(4), 3(5) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 178/2025 धारा 109(1), 3(5) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 अजीत सिंह मय हमराह का0 चंद्रकेश,का0 प्रमोद कुमार, का0 रवि प्रकाश, का0 विकास जायसवाल थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

हत्या का प्रयास के प्रकरण में 25,000/- रुपये का ईनामिया वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में एसटीएफ लखनऊ व थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास के अभियोग से संबंधित ईनामिया वांछित 01 अभियुक्त संतोष ठाकुर उर्फ कृष्ण राज सिंह को गिरफ्तार किया गया-

इनामिया अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत सुल्तानपुर रोड स्थित जियो पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।

दिनांक 21.08.2025 को वादी निवासी ग्राम भिखनापुर थाना देल्हूपुर एवं शहरी आवास मोहल्ला जोगापुर थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ कचहरी से वकालत का कार्य समाप्त कर मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहा था। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुँचा, उसी समय एक मोटरसाइकिल पर सवार 02 अज्ञात व्यक्तियों ने उसकी मोटरसाइकिल के बगल में अपनी मोटरसाइकिल लगाई। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने अपने बैग से असलहा निकालकर वादी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। इस संबंध में वादी की तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 402/2025 धारा 109, 131 बीएनएस बनाम 02 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अभियुक्तगण का अभियोग पंजीकृत किया गया।

मु0अ0सं0 402/25 धारा 109/131 बीएनएस से संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 25.08.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस एवं स्पेशल टीम की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में 02 अन्तर्जनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि उक्त अभियुक्त संतोष ठाकुर उर्फ कृष्ण राज सिंह जंगल का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया था। उक्त के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 409/25 धारा 109(1) बीएनएस बनाम 04 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्त फरार चल रहा था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं सहायक पुलिस अधीक्षक नगर/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण में एसटीएफ यूनिट लखनऊ तथा थाना कोतवाली नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दबिश के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 402/25 धारा 109/131 बीएनएस एवं मु0अ0सं0 409/25 धारा 109(1) बीएनएस से संबंधित 25,000/- रुपये के ईनामिया वांछित अभियुक्त संतोष ठाकुर उर्फ कृष्ण राज सिंह पुत्र स्व0 रामलखन, निवासी ग्राम वजहा पोस्ट छिवईया थाना झूसी जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 45 वर्ष, को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत सुल्तानपुर रोड स्थित जियो पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया।

इनामिया अभियुक्त का विवरण- संतोष ठाकुर उर्फ कृष्ण राज सिंह पुत्र स्व0 रामलखन, निवासी ग्राम वजहा पोस्ट छिवईया थाना झूसी जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 45 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0 402/25 धारा 109/131 बीएनएस थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 409/25 धारा 109(1) बीएनएस थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
एसटीएफ टीम- उ0नि0 अतुल चतुर्वेदी मय हमराह उ0नि0 प्रदीप सिंह, मुख्य आरक्षी रामनिवास शुक्ला, मुख्य आरक्षी सुशील सिंह, आरक्षी श्री राम सिंह मय चालक शिववीर सिंह एसटीएफ यूनिट लखनऊ।

थाना कोतवाली नगर-
निरीक्षक अपराध श्री मो0 इबरार अंसारी मय हमराह थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कन्धई पुलिस द्वारा अपहरण/दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त शिवम चौरसिया उर्फ चुन्नी को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शै◌ेलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कन्धई श्री सत्येन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में उ0नि0 पवन कुमार यादव मय हमराह का0 प्रवीण यादव, का0 राहुल कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137 (2)/87/64 (1)/351 (3) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त शिवम चौरसिया उर्फ चुन्नी पुत्र अशोक कुमार चौरसिया निवासी रामपुर बेला थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 20 वर्ष को थाना कन्धई क्षेत्रान्तर्गत उड़ैयाडीह मोड़ पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है तथा 01 अदद चार पहिया वाहन होण्डा अमेज को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. शिवम चौरसिया उर्फ चुन्नी पुत्र अशोक कुमार चौरसिया निवासी रामपुर बेला थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 20 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 पवन कुमार यादव मय हमराह का0 प्रवीण यादव, का0 राहुल कुमार थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

साइबर सेल जनपद प्रतापगढ़

साइबर सेल प्रतापगढ़ की तत्परता से पीड़ित को ₹2,00,000/- की ठगी गई धनराशि कराई गई वापस-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में, नोडल अधिकारी साइबर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी तथा सहायक नोडल अधिकारी साइबर/ क्षेत्राधिकारी नगर, प्रतापगढ़ के निकट पर्यवेक्षण में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु निरंतर कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में एनसीआरपी पोर्टल पर पीड़ित द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत की जांच के उपरांत साइबर सेल जनपद प्रतापगढ़ की टीम द्वारा त्वरित एवं सार्थक प्रयास करते हुए यूपीआई के माध्यम से ठगी गई ₹2,00,000/- की धनराशि पीड़ित के खाते में सकुशल वापस कराई गई। धनराशि प्राप्त होने के पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा जनपदीय उच्चाधिकारियों एवं साइबर सेल प्रतापगढ़ की टीम के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

पीड़ित के खाते में वापस कराये गये धनराशि का विवरण इस प्रकार है:- कुल वापस कराई गई राशि: ₹ 2,00,000/-

ठगी के तरीके: यूपीआई द्वारा ठगी।
जनसामान्य के लिए प्रतापगढ़ पुलिस की अपील:
1. सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी (जैसे मो0नं0, पता, बैंक डिटेल्स) पब्लिक में शेयर करने से बचें।
2. अनजान ई-मेल, SMS या WhatsApp मैसेज में आए लिंक या अटैचमेंट को बिना जांचे क्लिक न करें।
3. बैंक, पुलिस या किसी सरकारी संस्था के नाम से आने वाली कॉल पर जल्दबाज़ी में कोई कार्रवाई न करें।
4. UPI या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते समय रिसीवर का नाम और राशि दोबारा जरूर जांच लें।
5. मोबाइल या कंप्यूटर को हमेशा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ रखें, ताकि सुरक्षा कमियां दूर रहें।
6. सोशल मीडिया अकाउंट की प्राइवेसी सेटिंग्स मजबूत रखें और अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें।
7. किसी भी ऑनलाइन निवेश, लोन या इनाम से जुड़े ऑफर की सच्चाई पहले जांच लें, लालच में न आएं।
8. अपने बैंक खाते और UPI ट्रांजैक्शन का नियमित रूप से स्टेटमेंट चेक करते रहें।
9. अगर कोई व्यक्ति डर, दबाव या धमकी देकर पैसे मांगता है तो तुरंत बातचीत बंद करें।
10. इस प्रकार की कोई भी घटना होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या वेबसाइट(https://www.cybercrime.gov.in) पर कॉल करके ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं।

डिजिटल दुनिया में सजग रहें।
“जागरूकता ही आपकी ऑनलाइन सुरक्षा की सबसे मजबूत ढाल है।”--
जनपदीय साइबर सेल टीम , प्रतापगढ़